

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2014—श्रावण 10, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (30).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 में, उपनियम (4) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु 30 जून, 2014 को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित एकमुश्त राशि का भुगतान 30 जुलाई, 2014 तक किया जाएगा और प्ररूप 5 में विवरणी 31 अगस्त, 2014 तक प्रस्तुत की जाएगी.”

2. नियम 8-क में, उपनियम (6) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु 30 जून, 2014 को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित एकमुश्त राशि का भुगतान 30 जुलाई, 2014 तक किया जाएगा और प्ररूप 4-ख में विवरण 31 अगस्त, 2014 तक प्रस्तुत की जाएगी.”

3. नियम 21 में, उपनियम (2) और (2-ख) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु 30 जून, 2014 को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित विवरणी 31 अगस्त, 2014 तक प्रस्तुत की जाएगी.”

4. नियम 21-क में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु 30 जून, 2014 को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित विवरणी 31 अगस्त, 2014 तक प्रस्तुत की जाएगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (30), दिनांक 1 अगस्त, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st August 2014

No. F-A-3-35-2014-1-V(30).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 8, in sub-rule (4), for full, stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the lump sum amount pertaining to the quarter ending on 30th June, 2014 shall be paid upto 30th July, 2014 and the return in Form 5 shall be furnished upto 31st August, 2014.”

2. In rule 8-A, in sub-rule (6), for full, stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the lump sum amount pertaining to the quarter ending on 30th June, 2014 shall be paid upto 30th July, 2014 and the statement in Form 4-B shall be sent upto 31st August, 2014.”

3. In rule 21, in sub-rule (2) and (2-B), for full, stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the return pertaining to the quarter ending on 30th June, 2014 shall be furnished upto 31st August, 2014.”

4. In rule 21-A, for full, stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the return pertaining to the quarter ending on 30th June, 2014 shall be furnished upto 31st August, 2014.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.